

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
97/2025

दायर दिनांक
04.03.2025

निर्णय दिनांक
14.03.2025

1. श्री बालूलाल पिता पोखर जाट निवासी होलीरड़ा तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
— प्रार्थी

बनाम

1. लालीदेवी पत्नि बंशीलाल शर्मा निवासी गेगा का खेड़ा तह. सवाईपुर जिला भीलवाडा
2. पार्वतीदेवी पत्नि प्यारचंद ब्राह्मण निवासी गेगा का खेड़ा तह. सवाईपुर जिला भीलवाडा
3. श्री ओमप्रकाश पिता मदनलाल ब्राह्मण निवासी आकोला तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
4. चांदी पिता बल्ला भील निवासी आकोला तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
5. भगवान पिता रतना भील निवासी आकोला तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
6. श्री जगदीशचन्द्र पिता भैरूलाल ब्राह्मण निवासी गेगा का खेड़ा तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
7. श्री लादूलाल पिता नंदराम ब्राह्मण निवासी गेगा का खेड़ा तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
8. सुशीलादेवी पत्नि शंकर लाल ब्राह्मण निवासी गेगा का खेड़ा तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
9. श्री गणपतलाल पिता धूलिराम ब्राह्मण निवासी गेगा का खेड़ा तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, बडलियास (राज)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी श्री गोविन्दराय पुरोहित उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की खातेदारी की खाता संख्या सरहद में प्रार्थी 933 खसरा संख्या की सह 3670/1 रकबा 1.6026 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3670/3 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3670/4 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3671/2 रकबा 1.4164 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3673/5 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पड़ोसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मैंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की खातेदारी की खाता संख्या सरहद में प्रार्थी 933 खसरा संख्या की सह 3670/1 रकबा 1. 6026 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3670/3 रकबा 1. 0117 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3670/4 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3671/2 रकबा 1.4164 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3673/5 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपस्थित अधिकारी (दावत)
उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा